जनसत्ता पेज 4
6.2.14

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत व्यापारी अब 4 अगस्त तक करा सकेंगे पंजीकरण

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 5 फरवरी। देश के व्यापारियों के संगठन कान्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की मांग को स्वीकार करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने खाद्य सुरक्षा कानून को देश भर में लागू करने की तारीख को अगली 4 अगस्त 2014 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस आशय का एक नोटिफिकेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने बुधवार को जारी भी कर दिया है। इस कानून के तहत पंजीकरण कराना अथवा लाइसेंस लेने की अंतिम तारीख 4 फरवरी तक थी और देश भर में इस कानून को लेकर खास तौर पर व्यापारियों में बेहद नाराजगी और गुस्से का माहौल बना हुआ था। इस कारण कैट पिछले दो महीने से इस तारीख को स्थगित कराने में बेहद मजबूती से जुटा हुआ था। कैट का आरोप है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश के खाद्य व्यापार को सौंपने के लिए यह कानून लाया गया था।

इस बीच कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा है की हालांकि व्यापारियों को इस स्थगन से फौरी तौर पर एक बड़ी राहत मिली है लेकिन कानून में अनेक प्रकार के अव्यवहारिक प्रावधान और विसंगतियों के कारण व्यापारियों और अन्य वर्गों पर इस कानून की तलवार अभी भी लटकी हुई है। जब तक इसमें व्यापारियों के अनुकूल संशोधन नहीं हो जाते तब तक देश भर के व्यापारियों का संघर्ष जारी रहेगा। कैट ने आगामी 27-28 फरवरी को नई दिल्ली में देश भर के व्यापारी नेताओं का एक राष्ट्रीय महाधिवेशन बुलाया है जिसमें इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी और देशव्यापी अभियान की रणनीति भी तय होगी।

दोनों व्यापारी नेताओं ने आजाद से आग्रह किया है की इस कानून को स्थगित करते हुए व इसकी पेचीदगियों और अव्यवाहरिक पहलुओं को देखते हुए वे इस कानून और इसके नियमों का गहराई से अध्ययन करने व सरकार को उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति तुरंत गठित करें जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों व कैट के प्रतिनिधि शामिल हों। पिछले 14 जनवरी को आजाद के साथ कैट प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात में कैट ने यह प्रस्ताव आजाद को दिया था जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया था।